पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमाक:प–09 ( ) सम्बद्धता / 2023–24 / 23064 दिनांक: 23/12/2023

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में सम्बद्धता (सत्र 2024–25) के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऑन–लाईन आवेदन–पत्र के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. सत्र 2024–25 की सम्बद्धता हेतु ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.shekhauni.ac.in का प्रयोग कर Affiliation पर क्लिक करें उसके बाद Apply Online पर क्लिक करें उसके बाद For Fresh Programme, Extension for Already Affiliated College/Temporary Affiliation & Permanent Affiliation में से **जिसकी सम्बद्धता हेतु फॉर्म भरना चाहते हैं उसी पर क्लिक करें तथा** चाही गई सूचनाऐं भर कर Submit पर क्लिक करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी. पर User I.D. & Password प्राप्त होगा।
2. Online Affiliation Form Link पर क्लिक करें एवं User I.D. & Password का प्रयोग कर, Login पर क्लिक करें, तत्पश्चात् Continue पर क्लिक करें।
3. सम्बद्धता आवेदन फॉर्म Part –I, Part –II & Part –III (तीन भागों) में है। प्रत्येक भाग में चाही गयी सूचनाएं भरकर Continue पर क्लिक करें।
4. चाहे गऐ आवश्यक दस्तावेज pdf file में अपलोड करें (File size- 20 kb to 500 kb)
5. जहां भी Add लिखा हुआ है, संबंधित सूचनाएं भरकर Add पर क्लिक अवश्य करें।
6. **सम्बद्धता शुल्क का भुगतान : सम्बंधित महाविद्यालय / समिति के द्वारा संचालित खाते से ही On Line Payment Gateway System के द्वारा Credit Card/Debit Card/UPI/Net Banking and Wallets के माध्यम से किया जाना है।** भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बद्धता हेतु किऐ जाने वाले निर्धारित शुल्क का विवरण सही है **(यथा आवेदन शुल्क, सम्बद्धता शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क यदि कोई हो)। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नही होगा। यदि कोई महाविद्यालय निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क से कम का भुगतान करता है तो वह अधिसूचना में वर्णित विलम्ब शुल्क / शास्ति का भागीदार होगा।**
7. **सम्बद्धता आवेदन में सम्पूर्ण सूचनाऐं भरनें के पश्चात सम्बद्धता शुल्क के भुगतान हेतु Payment** पर क्लिक कर **On Line भुगतान करें।**
8. सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र एवं संग्लन सूची अनुसार समस्त दस्तावेजों का सचिव द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय सम्बद्धता शाखा में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा यदि उनमें कोई असत्यता पाई जाती है तो उसके लिए संस्था सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय से 500 / – रू. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन–पत्र जमा किया जावेगा।
9. सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त जानकारियां जैसे–संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण / शिक्षकों का विवरण / प्रवेशित छात्रों की संख्या / सोसाईटी से सम्बन्धित सभी दस्तावेज / राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र / विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश / NCTE का मान्यता पत्र (जो भी लागू हो) को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है **उक्त जानकारियों व महाविद्यालय वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के प्रिंट को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
10. इस विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों को महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य / व्याख्याताओं का विवरण व महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरना आवश्यक है। महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य / व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी. / "राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE) (जो भी लागू हो) के नियमानुसार होगी।

11. महाविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों की **स्थायी सम्बद्धता** लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है तथा उन प्राचार्य/व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा नियमानुसार पी.एफ. व ग्रेच्युटी प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समिति के सचिव/अध्यक्ष के द्वारा शपथ–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण **महाविद्यालय की वेबसाईट** पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
12. इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सीकर, नीमकाथाना एवं झुन्झुनू जिलों में स्थित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय नियमानुसार प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है।
13. सम्बद्धता आवेदन पत्र भरते समय शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की पूर्ण सूचना ऑनलाईन भरना अनिवार्य है तथा कार्मिकों के दस्तावेज आवेदन पत्रावली के साथ जमा नहीं करवानें हैं। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का किसी भी समय निरीक्षण करनें पर महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ के दस्तावेजों को तैयार रखें। यदि कोई कार्मिक महाविद्यालय छोड़कर जाता है या सेवानिवृत होता है तो उसकी सूचना लिखित में शीघ्र ही विश्वविद्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
14. महाविद्यालय इस आशय का निर्धारित **शपत–पत्र (राशि 100/– का नॉन ज्यूडिशियल)** जिसमें यह उल्लेख हो कि "एक ही भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालय/विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं की है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/NCTE (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।"
15. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.19( )/यूनि/निवियों/2022/19990 दिनांक 31.10.2023 के निर्देशानुसार विशेष शिक्षा सम्बन्धित पाठ्यक्रम बाबा आमेट दिव्यांक विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्धता प्राप्त करते हुए संचालित होंगे। इस हेतु बाबा आमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक BADU/VCS/2023-24/33 दिनांक 01.12.2023 द्वारा सूचित किया है कि उनके विश्वविद्यालय द्वारा विशेष शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों को सम्बद्धता सम्बन्धित प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जावेगी। अतः इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले विशेष शिक्षा से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों का सत्र 2024–25 हेतु इस विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर सम्बद्धता हेतु आवेदन नहीं करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
16. **On Line सम्बद्धता आवेदन भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु Help Line No 9001419830 या E-Mail ID – krishanaimage@gmail.com, teehnicalquery@anosysitsolutions.com पर सम्पर्क करें।**
17. **सम्बद्धता शुल्क का On Line भुगतान करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु Help Line No 8875007632 पर सम्पर्क करें।**
18. **सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2024–25) के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु Help Line No 8279227204 पर सम्पर्क करें।**
19. सत्र 2024–25 में सम्बद्धता चाहने वाले ऐसे महाविद्यालय जिनकों अनापत्ति प्रमाण पत्र/मान्यता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना शेष है उन्हे इसी अधिसूचना के अन्तर्गत आवेदन करना है

19 **सत्र 2024–25 के सम्बद्धता शुल्क में किसी भी पूर्व बकाया शुल्क का समायोजन नही होगा।**

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

कमाकः प–09 ( ) सम्बद्धता/2023–24/23065-69

दिनांक 23/12/2023

1. निजी सचिव, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. वित्त नियंत्रक/लेखा शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सहायक कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

उपकुलसचिव(शैक्षणिक)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र. स.	दस्तावेज	दस्तावेज संलग्न है हाँ/नही	पत्रावली पेज संख्या	
			From	To
1	सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र।			
2	ऑनलाईन भरे गए सम्बद्धता शुल्क की रसीद।			
3	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023–24 हेतु महाविद्यालय को जारी किए गए सम्बद्धता आदेश की प्रति।			
4	सत्र 2024–25 की सम्बद्धता चाहने हेतु संकाय/विषयों के नाम **परिशिष्ट–1 से 4** के अनुसार (जो भी लागू हो)			
5	संस्था/ट्रस्ट का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।			
6	संघ विधान पत्र एवं नियमावली की प्रति।			
7	ट्रस्ट/सोसायटी के संकल्प की प्रति।			
8	महाविद्यालय भवन में अन्य संस्था संचालित नहीं होने का सचिव द्वारा शपथ पत्र।			
9	रजिस्टार संस्थायें/सोसायटी पंजिकरण कार्यालय द्वारा प्रमाणित प्रबंध कार्यकारिणी सूची की प्रति **(तीन वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)**			
10	राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण तथा स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।			
11	राज्य सरकार के नियमानुसार/मापदण्डानुसार महाविद्यालय भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन आदेश/पट्टे की प्रति। **नोटः–वांछित भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के अभाव में सत्र 2024–25 की सम्बद्धता जारी किया जाना सम्भव नही होगा।**			
12	महाविद्यालय भूमि की जमा बंदी की प्रति।			
13	प्रस्तुत भूमि पर ही महाविद्यालय भवन बनाया गया है का सक्षम अधिकारी से प्रमाणित भूमि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रति।			
14	महाविद्यालय भवन का Blue Print जिस पर महाविद्यालय का नाम, भूमि खसरा नम्बर एवं भूमि का क्षैत्रफल वर्ग मीटर में लिखा हो जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो की प्रति।			
15	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो की प्रति।			
16	महाविद्यालय भवन एवं प्रयोगशालाओं के Photogrphs.			
17	नियमानुसार अक्षयनिधी कोष हेतु बनवाई गई F.D.R i.e. **कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रत्येक हेतु तीन लाख की F.D.R की प्रति।**			
18	नियमानुसार अक्षयनिधी कोष हेतु बनवाई गई F.D.R i.e. B.Ed., B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed, M.Ed., B.P.Ed **प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु तीन लाख पचास हजार की F.D.R की प्रति।**			
19	महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी. / "राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE) (जो भी लागू हो) के अनुसार **शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों** की सूची **परिशिष्ट–5 व 6** के अनुसार।			
20	इस आशय का प्रमाण पत्र कि महाविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को बैक के माध्यम से नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है।			
21	महाविद्यालय की ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर			

नोटः– प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फार्म मय सम्पूण दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित तिथि के बाद 500/– रू प्रति दिवस शास्ति के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

नवीन महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र. स.	दस्तावेज	दस्तावेज संलग्न है हॉ / नही	पत्रावली पेज संख्या	
			From	To
1	सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र।			
2	ऑनलाईन भरे गए सम्बद्धता शुल्क की रसीद।			
3	समिति / ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र समिति के विधान की प्रति।			
4	प्रबन्ध समिति की सूची (निर्वाचन तिथि सहित)।			
5	महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु समिति का प्रस्ताव–जिसमें महाविद्यालय की क्षेत्रीय आवश्यकता एंव औचित्य का आधार बताया गया हो तथा खोले जाने वालें संकाय (विषयों सहित) का स्पष्ट उल्लेख हो।			
6	समिति के नाम भूमि के दस्तावेज पट्टा।			
7	भूमि की जमाबन्दी एंव नक्शा।			
8	संम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश / रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण पत्र।			
9	भूमि का वर्गमीटर मे माप का समक्ष अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र।			
10	समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हो।			
11	पंजिकृत वास्तविद् द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी (सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा पंचायत समिति) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जिसमें खसरा नं. व पूर्ण पता लिखा हो। जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो।			
12	किराये के भवन हेतु पंजीकृत किरायनामा अथवा स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र।			
13	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र।			
14	किराये का भवन होने पर –भवन एंव भूमि के एक ही निकाय में होने का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र।			
15	राज्य सरकार के दिशा–निर्देशान्तर्गत तीन वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर मानदण्डानुसार भवन निर्माण का शपथ पत्र।			
16	स्वयं की भूमि पर (संख्या एंव आकार में) मानदण्डानुसार प्रस्तावित भवन का ब्लू प्रिन्ट।			
17	मानदण्डानुसार एफ.डी. आर. की छाया प्रति महाविद्यालय एंव कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम से होना आवश्यक है।			
20	भूमि भवन का गूगल मेप			
21	महाविद्यालय की मेल आई.डी., मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर			

नोटः– प्रत्येक महाविद्यालय उक्त फार्म मय सम्पूण दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त निर्धारित तिथि के बाद 500/– रू प्रति दिवस शास्ति के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।

परिशिष्ट–1

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....

....

..

शैक्षणिक सत्र 2024–25 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरणं

पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension) हेतु आवेदन								
पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति(स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क (यदि लागू हो)	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनविार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः

परिशिष्ट–2

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....

....

..

शैक्षणिक सत्र 2024–25 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरणं

पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में पूर्व निर्धारित सीटों/सेक्शन में अभिवृद्धि **(Increase Intake)** हेतु आवेदन								
पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति(स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनविार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः

परिशिष्ट–3

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....

....

..

शैक्षणिक सत्र 2024–25 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरणं

<table>
<tr><th colspan="10">नवीन पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता (Fresh Affiliation) प्राप्त करने हेतु आवेदन</th></tr>
<tr><th rowspan="2">पाठ्यक्रम</th><th rowspan="2">विषय</th><th rowspan="2">सीटों की संख्या</th><th colspan="2">राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति(स्थायी/अस्थायी)</th><th rowspan="2">निर्धारित सम्बद्धता शुल्क</th><th rowspan="2">निरीक्षण शुल्क</th><th rowspan="2">आवेदन शुल्क</th><th rowspan="2">कुल शुल्क</th></tr>
<tr><th>अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि</th><th>स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल शुल्क</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....
....
..

शैक्षणिक सत्र 2024–25 की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय पाठ्यक्रम/विषयों सहित सम्बद्धता शुल्क का विवरणं

पूर्व में अस्थायी सम्बद्धता के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम/विषयों में स्थायी सम्बद्धता **(Permanent Affiliation)** हेतु आवेदन								
पाठ्यक्रम	विषय	सीटों की संख्या	राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति(स्थायी/अस्थायी)		निर्धारित सम्बद्धता शुल्क	निरीक्षण शुल्क	आवेदन शुल्क	कुल शुल्क
			अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभावी होने का शैक्षणिक सत्र				
कुल शुल्क								

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनविार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....

....

..

महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टॉफ का विवरण

सत्र 202

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	शिक्षण विषय	पद	कार्यग्रहण तारिख	यू.जी.सी. / NCTE मानदण्डानुसार शैक्षणिक योग्यता	अध्यापन अनुभव (वर्ष / माह)	वेतन प्रति माह	मोबाइल नम्बर.	आधार नम्बर

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः

परिशिष्ट–6

महाविद्यालय का नाम व पता (कॉलेज कोड सहित) ....

....

..

महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची (सत्र 202   )

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	कार्यग्रहण तारिख	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	वेतन प्रति माह	माबाइल नम्बर.	आधार नम्बर

नोटः– महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त विवरण टंकित रूप में प्रस्तुत किया जाना अनविार्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मोहर
नाम :

हस्ताक्षर सचिव मय मोहर
नामः